"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जनवरी 2014—— माघ 8, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/02/2014/वाक/पांच (02). —— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वर्ष के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम के प्रावधान एवं नियमों के क्रियान्वयन से अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करती है, यथा :-

अनुसूची

अ. क्र.	व्यापारियों का वर्ग	वर्ष	प्रावधान/नियम जिनसे छूट दी गई	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 60 लाख से अधिक नहीं है.	वित्तीय वर्ष 2013-14	धारा 10 (2) (क)	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (क) में देय कर के बदले प्रशमन हेतु विकल्प दिनांक 31-03-2014 तक प्रस्तुत कर देता है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	छत्तीसगढ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 60 लाख से अधिक नहीं है.	वित्तीय वर्ष 2013-14	नियम 8 के उपनियम (10)	यदि कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी नियम 8 उपनियम (10) के अधीन उसके द्वारा देयकर के बदले एकमुश्त (प्रशमन) राशि का भुगतान दिनांक 30-04-2014 तक कर देता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्रमांक एफ-10/02/2014/वाक/पांच (02). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/02/2014/वाक/पांच (02), दिनांक 27-01-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th January 2014.

NOTIFICATION

No. F-10/02/2014/CT/V (02). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts, the class of dealer as specified in column (2) of the Schedule below, for the year as specified in column (3), from provisions of the act and rules as specified in column (4), subject to the restrictions and conditions specified in column (5) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Class of dealers	Year	Section/rule from which exemption granted	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover does not exceed Rs. 60 lac.	Financial year 2013-14	Clause (a) of sub-section (2) of section 10	When the dealer specified in column (2) opts for composition in lieu of tax payable upto 31-03-2014.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover does not exceed Rs. 60 lac.	Financial year 2013-14	Sub-rule (10) of rule 8.	When the dealer specified in column (2) has paid lump sum amount (composition money) in lieu of tax payable upto 30-04-2014.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.